



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 25.03.2025

- महिला सम्बन्धी अपराध पर अंकुश लगाने में कानपुर देहात पुलिस की कड़ी कार्यवाही।
- थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले 1 नफर नामजद अभियुक्त को किया गिरफ्तार।
- थाना रसूलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 59/2025 धारा 65(1)/137(2) बीएनएस व 3/4 (2) पाक्सो एक्ट में वंचित था अभियुक्त।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में व पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 18.02.2025 को वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना रसूलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 59/2025 धारा 137(2) बीएनएस बनाम 01 नफर नामजद अभियुक्त पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में साक्ष्यों के आधार मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी। मुकदमा उपरोक्त में थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए वंचित अभियुक्त प्रमोद कुमार राजपूत पुत्र भीमसिंह निवासी ग्राम परसोहा, थाना तिर्वा, जनपद कन्नौज को आज दिनांक 25.03.2025 को अरिन्द नदी पर ग्राम सुन्दरपुर गजेन, थाना रसूलाबाद कानपुर देहात से समय करीब 10.50 बजे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. प्रमोद कुमार राजपूत पुत्र भीमसिंह निवासी ग्राम परसोहा, थाना तिर्वा, जनपद कन्नौज, उम्र लगभग 20 वर्ष

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 59/2025 धारा 65(1)/137(2) बीएनएस. व 3/4(2) पाक्सो एक्ट, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा, चौकी प्रभारी कहिंजरी, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात
2. का0 318 अंकित कुमार, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात

3. का0 271 विनोद कुमार, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात।